निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1937 (श0)

(सं0 पटना 666) पटना, बुधवार, 10 जून 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

1 अप्रील 2015

सं0 22/नि0सि0(पू0)–01–12/2009/797—श्री इन्द्रजीत सक्सेना, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियॉ के विरूद्ध बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार के अंतर्गत लाभा चौकिया पहाड़पुर महानन्दा दायॉ तटबंध के चेन संख्या 688.00 पर अवस्थित स्पर एवं चेन संख्या 688 के डाउन स्ट्रीम में तटबंध के समुचित सुरक्षा हेतु विभागीय निदेश का अनुपालन सही ढंग से नहीं करने, स्थल पर सामग्रियों एवं श्रमिकों की समुचित व्यवस्था नहीं करने तथा कार्य में लापरवाही बरतने के कारण क्षतिग्रस्त हो जाने इत्यादि प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 19 के तहत विभागीय स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया। तदनुसार श्री सक्सेना, तत्कालीन मुख्य अभियंता से विभागीय पत्रांक 233, दिनांक 04.02.2010 द्वारा निम्न गठित आरोपों के लिए स्पष्टीकरण पूछा गया–

(क) समय–समय पर अध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्मक दल, कटिहार एवं विभागीय निदेशों के बावजूद आपके द्वारा कार्य में लापरवाही बरती गयी जिसके फलस्वरूप स्पर एवं तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ।

(ख) स्थल पर अपेक्षित मात्रा में बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों, श्रमिक एवं यंत्र–संयंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करने में आप विफल रहे जिसके फलस्वरूप स्पर एवं तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ।

श्री सक्सेना, तत्कालीन मुख्य अभियंता से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि तटबंध का टूटना ही स्वतः प्रमाणित करता है कि ससमय कार्य नहीं किया गया तथा पर्यवेक्षण में ढिलाई बरती गयी और अंतिम समय तक इंतजार किया गया कि और अधिक संघर्षात्मक कार्य करने का मौका सभी को मिले। जब तकनीकी समिति ने ए0 ई0 (Anti Erosion) कार्य नहीं दिया और स्थानीय अधिकारियों को लगता था कि वह जरूरी है तो फिर 15 जून से Flood Fighting क्यों नहीं आरम्भ किया? वे सभी अंतिम समय तक रूके रहे कि और अधिक से अधिक Flood Fighting काम करना पड़ेगा और इसी लालच में बॉध टूट गया। अतएव श्री इन्द्रजीत सक्सेना, तत्कालीन मुख्य अभियंता को Lack of supervision, not ordering flood fighting works to be done on time and criminal neglelct के लिए दोषी पाते हुए विभागीय अधिसूचना सं0 1429 दिनांक 24.12.12 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया–

1. दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त दंडादेश के क्रम में श्री इन्द्रजीत सक्सेना, तत्कालीन मुख्य अभियंता द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया है। पुनर्विलोकन अजी में श्री सक्सेना द्वारा निम्न तथ्य अंकित किये गये हैं–

अपने पत्रांक शून्य दिनांक 25.08.10 से पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण में समय–समय पर स्थल निरीक्षण कर समुचित आदेश अधीनस्थ पदाधिकारियों को दिए जाने को स्पष्ट किया गया है। जहॉ तक मामले में शिथिलता एवं लापरवाही बरतने की बात है स्पष्ट करना है कि चेन सं0 688 पर अवस्थित स्पर ''ए'' पर नदी के तीव्र प्रवाह का प्रहार प्रथमतः दिनांक 09.07.09 को हुआ जिससे अपस्ट्रीम नोज आंशिक रूप से लांच हुआ जिसे नायलोन क्रेटिंग कर दिनांक 11.07.09 को पुनर्स्थापित कर लिया गया। पुनः दिनांक 31.07.09 को पानी के भारी दबाव एवं बैक वाटरिंग के चलते अपस्ट्रीम में कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्य के आगे शैंक भाग लंच किया जिसे पुनर्स्थापित कर लिया गया।दिनांक 01.08.09 को अधीक्षण अभियंता से दूरभाष पर पहुॅच कर पालीवार अभियंताओं की टीम का गठन तटबंध सुरक्षा एवं चौकसी हेतु करते हुए विभाग को भी सूचित किया गया। साथ ही अध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्मक दल से स्थल निरीक्षण कराकर परामर्शनुसार कार्य कराने का निदेश दिया। दिनांक 04.08.09 को अध्यक्ष ने अपने निरीक्षण में कराये गये कार्य पर सहमति दी है।

पुनः दिनांक 09.08.09 को अध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्मक के साथ स्थल पर उनके दिशा निदेश के अनुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराने का निदेश देते हुए विभाग को भी सूचित किया गया। दिनांक 19.08.09 को अध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्मक बल के साथ लगातार कैम्प कर उनके परामर्शानुसार स्थल को सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास किया गया एवं विभाग को भी अवगत कराया जाता रहा। जिला पदाधिकारी, कटिहार से भी सहयोग लिया गया, उनके द्वारा निरीक्षण भी किया गया। साथ ही कोई प्रतिकूल टिप्पणी उनके द्वारा नहीं की गयी। जिला पदाधिकारी का मुख्य सचिव को संबोधित पत्रांक 2020 दिनांक 24.08.09 साक्ष्य के रूप में संलग्न की गयी है।

उपरोक्त कटाव स्थल हमेशा से अतिसंवेदनशील एवं आक्रामय रहा है। इसी कारणवश वर्ष 2006 से ही तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा कटाव निरोधक कार्य कराने की अनुशंसा की जाती रही है। परन्तु योजना समीक्षा समिति द्वारा स्वीकृति नहीं दिये जाने के कारण कार्य नहीं हो सका। वर्ष 2008 में भी संपोषण मद से आंशिक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा गया। वर्ष 2009 में तकनीकी सलाहकार समिति के अनुशंसा के बावजूद योजना समिति द्वारा स्वीकृति नहीं दिये जाने के कारण कार्य नहीं कराया जा सका।

विभाग द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि अगर आवश्यकता थी तो 15 जून 2009 से बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को क्यों सुरक्षित नहीं रखा गया जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि झौवा गेज स्थल पर एच0 एफ0 एल0 30.57 फीट एवं खतरा का स्तर 31.40 फीट से नदी का जलस्तर माह जुलाई 09 तक कम ही रहा। अतः दिनांक 09.07.09 से पूर्व बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराये जाने का कोई औचित्य नहीं था और न अध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्मक दल का कोई परामर्श। अधिक से अधिक Flood Fighting कार्य करने की लालच में अंतिम समय तक इंतजार किये जाने का लगाया गया आरोप सरासर निराशाजनक दुःखद गलत एवं निराधार है। ससमय कार्य नहीं कराना और जहॉ सामंजस्य स्थापित करने की बात है इस संबंध में स्पष्ट करना है कि तकनीकी सलाहकार समिति एवं योजना समिति द्वारा कटाव निरोधक कार्य कराने की मंजूरी दी जाती तो तटबंध टूटने की नौबत शायद नहीं आती। जब संघर्षात्मक कार्य की आवश्यकता हुई अध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्मक बल के निदेशानुसार कार्य कराया गया।

विभागीय प्रावधानुसार प्रथमतः तकनीकी सलाहकार समिति एवं अंततः योजना समिति से अनुशंसित आक्रामय स्थलों को कटाव निरोधक कार्य कराकर सुरक्षित किया जाता है एवं बाढ़ अवधि में आवश्यकता पड़ने पर न्यूनतम बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराने का प्रावधान है।

उड़नदस्ता जॉच प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है कि उक्त टूटान स्थल पर बाढ़ 2009 की पूरी अवधि में कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्य अपस्ट्रीम में पूरी तरह एवं डाउन स्ट्रीम कंट्री साइड को बहुत हद तक नियंत्रित करने में सफल रहा है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर लगाये गये आरोप को तथ्य से परे होने का जिक्र करते हुए श्री सक्सेना को संसूचित दंडादेश से मुक्त करने का अनुरोध है।

श्री सक्सेना से प्राप्त पुनर्विलोकन अर्जी की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। श्री सक्सेना का दिनांक 15. 06.09 से ही अगर आवश्यकता थी तो बाढ़ संघर्षात्मक कार्य नहीं कराये जाने के संदर्भ में कहना है कि दिनांक 09.07. 09 से पूर्व नदी का जलस्तर कम रहने के कारण बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराने का न औचित्य था और न अध्यक्ष, बाढ़ सुरक्षात्मक बल का परामर्श। साक्ष्य स्वरूप अहस्ताक्षरित गेज पंजी की छायाप्रति संलग्न की गयी है। श्री सक्सेना का यह भी कहना है कि अधिक से अधिक Flood Fighting कार्य कराने के लालच में अंतिम समय तक इंतजार किये जाने का आरोप भी निराधार है। क्योंकि तकनीकी सलाहकार एवं योजना समिति से कटाव निरोधक कार्य कराने की मंजूरी दी जाती तो तटबंध शायद नहीं टूटता। पर्यवेक्षण एवं अध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्मक दल के निदेशानुसार स्थल पर कैम्प कर कार्य कराये जाने के संबंध में पूर्व के तथ्यों का उल्लेख किया गया है।

श्री सक्सेना द्वारा साक्ष्य के रूप में संलग्न किये गये गेज पंजी जो किसी स्तर से हस्ताक्षरित नहीं है, से विदित होता है कि नदी का जलस्तर बढ़ने की प्रवृति थी एवं दिनांक 03.07.09 को नदी का जलस्तर खतरा का निशान जैसा कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा अंकित किया गया है से करीब एक फीट कम था एवं दिनांक 08.07.09 को करीब आधा फीट क्षतिग्रस्त हुआ जिसे पुनर्स्थापित करा लिया गया। पुनः दिनांक 31.07.09 को जल के दबाव के कारण कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्य क्षतिग्रस्त होने पर पुनर्स्थापित कराये जाने का उल्लेख है। दिनांक 04.08.09 एवं दिनांक 09. 08.09 को आध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्मक बल के निदेशानुसार एवं दिनांक 19.08.09 से अध्यक्ष के साथ कैम्प कर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराये जाने का उल्लेख किया गया है। उसके बावजूद भी 24–25 अगस्त, 2009 को तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ। आरोपित पदाधिकारी द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि स्थल अति संवेदनशील एवं आक्रामय था तथा वर्ष

2008 में संपोषण मद में आंशिक कार्य कराकर तटबंध को सुरक्षित रखा गया और वर्ष 2006 से ही तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा कटाव निरोधक कार्य कराने का लगातार अनुशंसा की गयी है। उक्त से स्पष्ट होता है कि आरोपित पदाधिकारी जो क्षेत्र के वरीयतम पदाधिकारी हैं अध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्मक बल के परामर्शानुसार कार्य कराये। परन्तु नदी की प्रवृति एवं स्थल की अति संवेदनशीलता तथा आक्राम्यता को देखते हुए ससमय वांछित मात्रा में बाढ़ संघर्षात्मक कार्य नहीं कराये जाने के कारण तटबंध सुरक्षित नहीं रह पाया। पूर्व समीक्षा में भी अंकित है कि तटबंध का टूटना स्वतः प्रमाणित करता है कि ससमय कार्य नहीं किया गया तथा पर्यवेक्षण में ढिलाई बरती गयी। स्थानीय अधिकारियों को anti crosion कार्य जरूरी लगता था तो Flood Fighting कार्य क्यों प्रारम्भ नहीं किया गया और अंतिम समय का इंतजार किया गया। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्री सक्सेना से प्राप्त पुनर्विलोकन अर्जी स्वीकार योग्य नहीं है।

इस प्रकार सम्यक समीक्षोपरान्त श्री इन्द्रजीत सक्सेना, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियॉ के पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए पूर्व में संसूचित दंड – ''दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक'' को यथावत रखने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री इन्द्रजीत सक्सेना, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियॉ के पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए पूर्व में संसूचित उक्त दंड को यथावत् रखने का आदेश संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 666-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in